THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR): The question is:

11. "That at page 14, line 29, after the word and figure 'Category I', the words and figures 'and Category III' be inserted.

The motion was negatived.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR): The question is:

"That clause 27 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 27 was added to the Bill.

Clauses 28 to 40 were added to the Bill.

The First Schedule was added to the Bill.

The Second Schedule

SHRI S. G. SARDESAI: Sir, I beg to move:

12. "That at page 26 after line 12, the following explanation be inserted, namely:—

'Explanation:—This shall include such loans or fixed deposits as had been advanced to sick textile undertakings by the workers from their Provident Fund'."

13. "That at page 26, line 21, after the words 'due to an employee' the words 'including such amount as have been advanced by employees from the Provident Fund either as fixed deposits or loans' be inserted."

14. "That at page 26, line 23, *for* the words 'Secured loans' the following be substituted, namely:—

'(a) Such amounts as have been advanced as fixed deposits by small depositors.

(b) Secured loans'."

The questions were put and the motions were negatived.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR): The question is:

"That the Second Schedule stand part of the Bill."

The motion was adopted.

The Second Schedule was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

MESSAGE FROM THE LOK SABHA

The Representation of the People (Amendment) Bill, 1974

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:

"In accordance with the provisions of Rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose herewith the Representation of the People (Amendment) Bill, 1974, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 16th December, 1974."

Sir, I lay the Bill on the Table.

THE SICK TEXTILE UNDERTAKINGS (NATIONALISATION) BILL, 1974—*Contd.*

SHRI B. P. MAURYA: Sir, I move:

"That the Bill be passed."

The question was proposed.

SHRI D. THENGARI: Sir, apart from the workers' dues, I just want to seek clarification from the hon. Minister on a

few points. Can the Minister assure us that there would not be any retrenchment in the process of modernisation ? We want a categorical assurance regarding retrenchment ? Secondly, will he assure us that the workers of the sick mills will be paid relative wages, that is, their share in the prosperity will not dwindle and there would be a corresponding proportionate rise in their wages with the rise in the prosperity of the plant ? Thirdly, he has not mentioned anything about the applicability of the agreements and awards in the textile industry to the sick mills. Lastly, Sir, I would like to know whether the Government will accept responsibility for the distribution of coarse and medium cloth at cheap rates.

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : उप-सभाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक बहुत पहले आना चाहिए था और जो कानून सरकार आज बनाने जा रही है वह आज से 20 साल पहले हो जाना चाहिए था । मैं मंत्री महोदय को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि वह इस बिल को आज इस रूप में ले आये कि यह आज कानून का रूप ग्रहण करने जा रहा है, लेकिन उपसभाध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री महोदय के सारे तर्कों और भाषणों को गौर से सुना और उस के बाद मैं उन से यह निवेदन करना चाहता कि कानून के ढंग पेंच और होते हैं और किसी सरकार की राजनीतिक फिलासफी और होती है । आप आपने को समाजवादी सरकार कहते हैं और मंत्री जी स्वयं एक पके हुए समाजवादी हैं, इसलिए मैं उनसे कहना चाहता हूं कि क्या प्रिन्टेक ओवर सीरियह के मजदूर के. पी. एफ. के बकाये और उसकी मजदूरी के बकाये को एक ही स्तर पर रखा जायेगा जिस स्तर पर कि क्रेडिटर के बकाये को रखा जाएगा ? क्या आप बैंकर के और मजदूरी के बकाये को एक ही स्तर पर रखोंगे ? अगर ऐसा होगा तो किस मुंह से हम-आप कहेंगे कि यह समाजवादी सरकार का कानून है ? दोनों बकायों को एक ही स्तर पर रख कर हम अपनी तस्वीर को बहुत साफ नहीं रख सकते इसलिए हमको दोनों में फर्क करना होगा । बैंक के और मजदूर के बकाये में फर्क करना होगा ।

में, श्रीमान, उदाहरण देना चाहता हूं । आपने अगर यह कदम 20 साल के बाद उठाया है तो आपको 20 साल पहले यह उठाना चाहिए था । यह सरकार का कर्त्तव्य था । मजदूर इसकी मांग कर रहे थे कि इसका इंतजाम सरकार आपने हाथ में ले । 1947 से मांग कर रहे थे कि मिलों का राष्ट्रीयकरण करो । आपने देर की आप उसके लिए जिम्मेदार हैं । सरकार की जिम्मेदारी है अगर मजदूरों की मजदूरी बकाया है तो । उन्होंने इतना पसीना बहाया है, उस पसीने की कीमत का मुकाबला बैंकरों के बकाये से नहीं की जा सकती है । आपकी लीगल ड्यूटी और मारेल ड्यूटी में फर्क होता है । आपको दोनों में डिस्टिंक्शन न करना पड़ेगा । दोनों की बराबरी नहीं की जा सकती । आप यह नहीं कह सकते कि इससे डिस्क्रिमिनेशन कहा जायेगा । बैंकर का क्रेडिट और मजदूरों की मजदूरी के बकाये में डिस्टिंक्शन अगर होता है तो किसी भी ला के अन्दर यह डिस्क्रिमिनेशन नहीं कहा जा सकता । दोनों में डिस्टिंक्शन होना चाहिए ।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं वायदों के बारे में । मंत्री महोदय ने अभी कहा है कि हम इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि इन मिलों के इंतजाम में मजदूरों का हाथ हो । मंत्री जी चाहते हैं इस बात को, सरकार भी चाहती है, लेकिन कब तक चाहने पर काम चलेगा और कब तक चाहने पर यह ढांचा चलेगा ? वायदों का पहाड़ कब तक बनते चले जाएंगे ? वायदों के पहाड़ कायम करके उसे आप पूरे कीजिए । जब हमने बैंकिंग कानून बनाया था उस वक्त भी हमने वायदा किया कि बैंकों के इंतजाम में मजदूरों का हाथ होगा । कानून में प्राविजन किया हमने उसके बावजूद भी आज राष्ट्रीयकृत बैंकों के इंतजाम में मजदूरों का हाथ नहीं आया । रूल्स नहीं बन पाये । तमाम बाधायें हैं । इन बाधाओं को दूर कौन करेगा ? आप इन बाधाओं को दूर नहीं करेंगे तो कौन दूर करेगा? यह आपकी जिम्मेदारी है कि जो कोई बाधा हो मिलों के इंतजाम में, जो कोई बाधा हो मजदूरों के रिप्रेजेन्टेशन के बारे में उनको आपको दूर करना होगा । यह आपकी जिम्मेदारी है । इसलिए आप केवल यह कहकर कि उनका

[श्री नागेश्वर प्रसाद शाही]

इसमें हाथ होगा, काम नहीं चला सकते । आपको इसकी व्यवस्था करनी होगी ।

मैं एक पहलू और कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा और वह है राष्ट्रीयकृत मिलों के इंतजाम का । उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की सहकारी मिल जो आज से 10 साल पहले कायम हुई थी, उसका इंतजाम सरकार के हाथ में है । शुरू से आज तक है और उस समय के उत्तर प्रदेश के एक मंत्री महोदय जी आजकल विरोध पक्ष में बैठते हैं हाउस में, उनके विभाग का विषय था । उन्होंने अपने एक सम्बन्धी को जिनकी पूरी योग्यता दर्जा 4 तक थी, जिनके पास कुछ सौ रुपये की पड़चून की दुकान थी, उनको 5 हजार रुपये महीने देकर उस कोआपरेटिव काटन मिल का मैनेजिंग डाइरेक्टर अपाइंट कर दिया और मिल जब बन रही थी उसी समय लाखों लाख रुपये का घाटा हो गया और बनने के समय ही सारा जो मूल-धन था, जो कैपिटल था वह साफ हो गया ।

मैं उसके लिए मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उसका इन्तजाम किया है । मैं यह कहना चाहता हूं कि आप राष्ट्रीयकृत संस्थाओं के इंतजाम पर विशेष ध्यान नहीं देंगे तो राष्ट्रीयकरण के नाम पर जो कलंक पूंजीपति लगा रहे हैं कि सरकार जो कुछ छूती है वह गायब हो जाती है, सरकार ने कोयले का राष्ट्रीयकरण किया तो वह गायब हो गया तो वह नहीं रहेगा । मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप राष्ट्रीयकृत संस्थाओं के मैनेजमेंट की विशेष व्यवस्था करें और इसके लिए आप को ऑनेस्ट, ट्रेंड आफिसर का कैडर बिल्ट करना पड़ेगा । आप जब तक ऑनेस्ट, ट्रेंड अफसर का कैडर बिल्ट नहीं करेंगे तब तक इन औद्योगिक और व्यावसायिक संस्थाओं का इंतजाम आप ठीक से नहीं चला सकेंगे । आप ने राष्ट्रीयकरण के नाम पर कलंक लगाया जो देश के लिए घातक होगा । जो कदम आप उठा रहे हैं देश के हित में तो वह देश के हित में कदम घातक होगा अगर आप ऑनेस्ट और ट्रेंड अफसर का कैडर बिल्ट नहीं करते । इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस बात पर जरा ध्यान रखें कि जिन मिलों को आप अपने हाथों में लें उन को आप अयोग्य आदमियों के हाथ में न सौंपें वरन् जो हालत कोयला खानों की हो रही है वही हालत इन बीमार कपड़ा मिलों की होगी ।

मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आपने जो नियम कंट्रेल कपड़े के उत्पादन में बनाया है वह नियम सख्ती से लागू हो । जो मिलें आपके हाथ में हैं वे इस नियम को सख्ती से पालन करें तो आपको सफलता मिल सकती है । जिन मिलों का इंतजाम आपके हाथ में नहीं है वे निहायत बेईमानी के साथ काम कर रही हैं यह बात मंत्री जी आपके नोटिस में लाना चाहता हूं । वे मिलें अपना कंट्रेल क्लाथ, जितना उनका कोटा है, आपकी मिलों से बनवा लेती हैं इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इस पर भी ध्यान रखें आपकी मिलें जो हैं वे अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें । जो मिलें आपके हाथ में नहीं हैं वे कंट्रेल क्लाथ खुद बनाती नहीं और आपकी मिल से बनवाती हैं लेकिन फाइन क्लाथ बना कर उसका मुनाफा लूट रही हैं तो मैं चाहूंगा कि आप इसको जरूर देखें ।

श्रीमन्, एक बात और कह कर मैं समाप्त करूंगा कि आप जितना कोटा निर्धारित करते हैं साड़ी और धोती के लिए, यह गरीब आदमियों की आम चीज है जिसका बाजार में भाव ऊंचा है और कंट्रेल भाव कम है । इसके लिए आप परसेन्टेज नियुक्त कर दें इससे उनको मुनाफा लूटने में सफलता नहीं मिलेगी ।

मैं मंत्री महोदय का इस ओर भी ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जो राष्ट्रीयकृत कार्य हो रहे हैं उनका अच्छा नाम, सुनाम हो इसके लिए जरूरी है कि उनके मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान दें । धन्यवाद ।

SHRI L. MAHAPATRO : Mr. Vice-Chairman, Sir, now the law is going to be made. As earlier pointed out by the hon'ble Members speaking just before me, the sick mills or other undertakings taken over do have a very very bad course after

they have been taken over. That might not be so for these, that is what I want. To take over the sick mills, we had a lot of discussion and the other House also did have it. The money that the Government wants to give will add to the cost of their recovery. I should very much want that they should not die. They were sick so long but let them not die and when I say they should not die, I mean that the Government when they take over, should make it their motto that the death of a single worker in the mill will be reckoned by them as the death of the mill and death of the industry. If they work with this motto, then certainly they will not allow the industry to die though it has been sick so long.

Regarding the sickness, so many things have been said already that the sickness was brought about by those dirty mill owners and they are now going to reap a very great harvest by way of compensation. Government says that they will be making a distribution in such a way that they get their share of dues. As far as the worker is concerned, they say that they have given him priority and he has been put in a preferential position. But that does not suffice. You know, Sir, the Government is supposed to do good for the people and this Government which professes to bring in socialism should think more in terms of doing good to these workers. Therefore, what I feel is, when the compensation will be apportioned, the Government should think of not pressing for full realisation of their claims but should think of paying the workers their full dues. Therefore, I request the Government not to be very hard in realisation of their own dues but should think of paying to the workers their full dues, whether the dues related to the pre-takeover or post-takeover period. There is a distinction being made about pre-takeover and post-takeover. I very much apprehend that such a distinction might come up in the law courts. I feel that this should be examined more carefully. The Minister may now say that he has consulted his Department and his Department in turn might have consulted the Law Department and they are on very sure ground. He may say that but I am apprehensive because that has been our lot. We have seen that after making such very firm assurances in the House that the measure taken is legally correct, they have been hit by various rulings of the different law courts. Here also such a danger is apprehended and, therefore, it should be examined the second time.

Coming to my final point, I followed from Mr. Maurya saying that the pre-takeover liabilities was something which was created by those ill-reputed mill owners who did not want to give to the workers their dues during the pre-takeover period and that he does not want to give them a premium for this conduct. Even the dues of the workers before the takeover should be the concern of the Government. Therefore, I feel that even for the pre-takeover liability as far as the workers' dues are concerned, it should be the concern of the Government and they should think of paying it. About the post-takeover, I have already said that the Government could relax their realisation of their own dues while making full payment of the dues to the workers. That should be the attitude which the Government should take, for the great labour the worker has invested should not go unpaid by a Government professing to usher in socialism. Otherwise, I would say that it was a Bill whereby heavy money was paid to nasty elements who did all the job of robbing the workers and robbing everybody and also it will be a deal where the poor worker who was so long exploited by the mill owner, may also be exploited by the Government in not being paid his full dues. It may not only be a case of exploitation, as such but certainly it will also be a case of hardship for him. These sick textile mills are being taken over by the Government with a view to see that we can do the best for our people.

Finally, I just want to request the Minister as others have done that let it be assured that these sick textile mills after

[Shri L. Mahapatro]

the takeover, will be burdened with the work of producing coarse cloth and nothing but coarse cloth for our common man.

श्री नन्द किशोर भटट (मध्य प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, यह जो बिल प्रस्तुत हुआ है यह बड़ा ऐतिहासिक बिल है इस दृष्टि से कि, जैसा मैं पहले निवेदन कर चुका हूं, कपड़ा उद्योग हमारे देश का बहुत पुराना उद्योग है और पिछले कुछ सालों से इस उद्योग की जैसी स्थिति है उससे हम लोग कोई परिचित नहीं हैं, ऐसी बात नहीं है। मैंने देखा है कि जो मिलें किसी जमाने में बहुत मुनाफा कमाती थीं, उद्योगपतियों ने जिस गलत तरीके से उन मिलों का संचालन किया उससे न केवल मिलों की हालत खराब हुई, न केवल मजदूरों का पैसा बकाया रहा बल्कि कुल मिला कर उन्होंने उद्योग को सब तरह से चौपट कर दिया और यही कारण है कि जिस उद्योग से किसी जमाने में बहुत पैसा कमाया जाता था, उद्योगपतियों ने कमाया परन्तु अपने तक रखा, और ज्यादातर उन मिलों से उन्होंने कालाबाजारी की और खूब काला पैसा उन्होंने अपने पास इकट्ठा करने की कोशिश की। इसलिए सरकार का यह कदम बड़ा वाजिब कदम है कि जिन्होंने जान बूझ कर, अपनी गलत नीतियों के कारण मिल की हालत खराब कर दी, आज सरकार ने इसके लिए बहुत बहादुरी और साहस के साथ यह ऐतिहासिक कदम उठाया है और इस ऐतिहासिक कदम के लिए मैं माननीय मंत्री जी और सरकार को धन्यवाद देता हूं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, कुछ हमारे उस पक्ष के साथियों ने जो शंकाएं उठाई हैं, मेरी समझ में नहीं आता इसका क्या कारण है। माननीय मंत्री महोदय ने जो क्लेरीफिकेशन्स दिए हैं और जिस सफाई और विस्तार से उन सारे पहलुओं पर प्रकाश डाला है उसके बाद मैं नहीं मानता कोई और चीज कहने को बाकी रह गई है। चाहे कानूनी ढंग से कहना चाहते हैं या मारली रखना चाहते हैं, मैं इस बात को मानता हूं कि उसके ऊपर ज्यादा खींचातानी करना इस बिल के साथ अन्याय करना है, मजदूरों के साथ अन्याय करना है और उद्योग के साथ अन्याय करना है। तो हमें मंत्री जी को और शासन को इस कदम के बारे में पूरा सहयोग देना होगा।

श्रीमन्, मैं खुद जानता हूं, हमारे यहां मध्य प्रदेश में आज कुछ मिलें हैं जिन्हें इन 103 मिलों में शरीक किया गया है—उज्जैन की हीरा मिल, इंदौर की गालवा मिल, कल्याण मिल और स्वदेशी मिल। किसी जमाने में उनका बड़ा ऊंचा नाम था क्वालिटी के बारे में, मजदूरों को पैसा देने के बारे में, सभी प्रकार की बातों में। परन्तु, पिछले कुछ सालों में जिस तरह से मिल की हालत खराब हुई, जिस तरह से इन मिलों का संचालन किया गया है उसके बारे में मैं भी अपने साथियों से सहमत हूं कि चाहे जैसे भी देर से बिल लाया गया है परन्तु, देर आयद दुरूस्त आयद पर सरकार का कदम बड़ा अच्छा आया है। जहां तक मजदूरों का प्रश्न है इसमें कोई संदेह नहीं कि इस कदम को कार्यान्वित करने में, सही तौर पर अमल में लाने के लिए, जो इस बिल में निहित भावना है उनके अनुरूप शासन को टैक्सटाइल कमिशनर को पूरा-पूरा सहयोग देना होगा।

परन्तु मुझे एक निवेदन यह करना है कि नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन जिस तरह से काम करेगा उसके बारे में मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय कुछ डायरेक्शंस, कुछ निर्देश, दें क्योंकि मैंने अपने अनुभव से देखा है कि जहां एक मिल को या कुछ मिलों को चलाना मुश्किल होता है वहां जब यह कारपोरेशन 103 मिलों की जिम्मेदारी ले रहा है—यह जिम्मेदारी सरकार ने बड़ी अच्छी नीयत से उठाई है और बहुत अच्छा कदम उठाया है, मैं मानता हूं—परन्तु उसको कार्यान्वित करने के लिए जरूरी है कि नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन को कुछ गाइडलाइंस दिए जाएं, कुछ निर्देश दिए जाएं, विशेष रूप से इस व्यवस्था को डिसेन्ट्रलाइज करके चलाने की क्योंकि जब तक उसे डिसेन्ट्रलाइज नहीं करेंगे तब तक, मैं नहीं मानता, कि नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन चाहे बम्बई में कारपोरेशन हो चाहे अहमदाबाद में हो कहीं भी हो—यह नको चलाने में सक्षम नहीं हो सकेगा।

इसके लिए मजदूरों का सहयोग बहुत आवश्यक है। मैं आपको गुजरात का उदाहरण देता हूं। गुजरात में जिस समय उथलपुथल हुई थी उस समय वहां के मजदूरों ने जिस तरह से उद्योगों को चलाने में मदद की उसकी मिसाल आपको दूसरी जगह नहीं मिलेगी। बाजार बंद हुए, मारपीट हुई, हंगामा हुआ, लेकिन कोई मिल बंद नहीं थी। इसलिए बंद नहीं थी कि उद्योगपति नहीं चाहते थे कि बंद हो, वे तो बहुत कुछ चाहते थे, लेकिन जो जिम्मेदार मजदूर थे वे अपनी जिम्मेदारी को समझते थे और यही कारण है कि सब तरफ से उकसाने के बावजूद मिलें चलती रहीं। इसका श्रेय मजदूरों को हो सकता है। यह इस बात को बतलाता है कि हमारे मजदूर चाहे वे कपड़ा उद्योग में काम करते हों, चाहे कोयला उद्योग में काम करते हों, किसी उद्योग में काम करते हों, वे हमारे सामाजिक आदर्शों को लागू करने में अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हैं। इसलिए सरकार को चाहिए और खासकर पब्लिक सैक्टर के कारपोरेशंस को चाहिए कि वे मजदूरों का पूरा इनवाल्वमेंट करें, जितनी भी निर्णायक स्थितियां हैं, छोटे से छोटे डिपार्टमेंट से लेकर ऊपर तक उनका बराबर इनवाल्वमेंट होना चाहिए। मुझे कोई संदेह नहीं है कि अगर इस प्रकार की स्थिति रही तो सरकार की नीतियों के कार्यान्वयन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, खास कर जिस तरह से इन्होंने 103 बीमार मिलों को लिया है उन खराब मिलों को फायदे में चलाया जा सकेगा बल्कि ऐसा काम भी किया जा सकेगा कि मुनाफा भी कमाया जा सके ताकि पब्लिक सैक्टर में जहां जहां पैसों की जरूरत पड़ सकती है वहां पैसा मिल सके।

मुझे एक दो बातें और कहनी हैं। पब्लिक सैक्टर में आज क्या हो गया है। जहां कोई शासकीय उद्योग या जन-उद्योग अच्छी तरह से चलता है तो वहां कभी किसी के खिलाफ, कभी किसी के खिलाफ रिपोर्ट आ जाती है, एक प्रकार का विच-हंटिंग का एटमासफियर चल रहा है। मैं यह नहीं कहता कि सब अफसर अच्छे हैं या जो सब खराब हैं। ऐसे लोग भी हैं जो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। उन अफसरों के खिलाफ कभी सी. बी. आई. की इन्क्वायरी की बात चलती है, कभी शिकायत होती है। इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए कि पब्लिक सैक्टर आर्गेनाइजेशन्स में इस तरह की बातों के लिए सेल बनाया जाय और जिस तरह से हम वर्कर्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, हमें उन अफसरों को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए जो कमिटमेंट के साथ, जिम्मेदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहते हैं। सरकार को सेल बनाना चाहिए और इस बात की सावधानी रखनी चाहिए कि उनका कैरियर खराब न हो और उनको बदनाम न किया जाए क्योंकि नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन एक बहुत जिम्मेदारी की जगह है।

अंतिम बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इन मिलों में नई-नई मशीनें लगेंगी, देशी मशीनें लगेंगी, यह बहुत प्रसन्नता की बात है। जहां तक कपड़े की बात है, उसको आपको दो भागों में विभाजित करना चाहिए—एक तो मोटा कपड़ा जो इस देश के सब लोगों को मिल सके, वेराइटीज की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, वेराइटीज एक्सपोर्ट पर्पजेज के लिए हों। जहां तक होम कन्जम्पशन का ताल्लुक है, उसके लिए लिमिटेड वेराइटीज हों जो छोटे से लेकर बड़े तक पहुंच सकें। इसके लिए उसके डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। इसकी जिम्मेदारी को वह टैक्सटाइल कारपोरेशन या सिविल सप्लाईज विभाग को देगी, यह उसके अपने देखने की बात है, परन्तु जन-भावना की दृष्टि से मैं कहना चाहता हूं कि सरकार इस बात को ध्यान में रखे और इस दिशा में कदम उठाए।

अंत में एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि जहां-जहां टैक्सटाइल सैन्टर्स हैं, वहां पर इंडस्ट्रियल हाउसिंग होती है और वर्कर्स से मकानों का किराया लिया जाता है। मैं चाहूंगा कि आप नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन को इस प्रकार की हिदायत दें कि—इस प्रकार की व्यवस्था की जाए कि वर्कर्स को मकान हायर-पर्चेज सिस्टम पर मिले जिससे उनके अंदर सीक्योरिटी हो, उनको अपनापन लगे और उद्योग के संचालन में वे अपना पूरा योग दे सकें। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री महोदय को फिर से

[श्री नन्द किशोर भट्ट]

बधाई देता हूं कि उन्होंने इस ऐतिहासिक बिल के द्वारा इस देश के उद्योग में एक नई व्यवस्था की ओर संकेत किया है। मैं आशा करता हूं कि यह नई व्यवस्था समाजवादी लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने में सहायक हो सकेगी। इन शब्दों के साथ मैं उनको धन्यवाद देते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री भूपेन्द्र नारायण मंडल (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, सिक मिल्स के नेशनलाइजेशन के लिए जो बिल हाउस के सामने प्रस्तुत है मैं उसका स्वागत करता हूं लेकिन जिन कारणों को लेकर यह कपड़ा मिलें बीमार हुई थीं और उनका नेशनलाइजेशन करने की जरूरत पड़ी उस स्थिति पर हम को विचार करना चाहिए। नेशनलाइजेशन एक उपाय है जो अपनाया गया इन सिक मिल्स के लिए। लेकिन क्या यही एक उपाय है? दूसरे जो उपाय हो सकते थे जिनकी वजह से यह मिल्स न होने पाएं उनका कोई प्राविजन इस बिल में नहीं है। मैं चाहता था कि इस बिल को फ्रेम करने के समय वह प्राविजन भी इसमें किए जाते जिससे कि कपड़ा मिलें सिक न होने पातीं। इसके लिए यह करना चाहिए था कि उन मिलों को जो प्राफिट होता था उस का कुछ भाग जमा करवाना चाहिए था कुछ मदों में, जैसे डिप्रिसियेशन वाली मद होती है या डवलपमेंट और रिसर्च के लिए मद होती है, इन मदों में पहले से रुपया जमा होना चाहिए था। यह रुपया जमा होता था या नहीं होता था यह हम नहीं कह सकते। वैसे कानून के हिसाब से यह मदें रहती हैं लेकिन जो सिक मिल्स थीं उनमें यह पैसा इन मदों में जमा होता था या नहीं होता था यह हम नहीं कह सकते॥ यह भी देखा गया कि प्राविडेंट फंड की मद में जो रुपया जमा होता था उसको भी वह लोग खा जाते थे। तो पहली बात तो यह कि यह रुपया जमा करना जरूरी होना चाहिए। दूसरे जो रुपया जमा होता है, जिस परपज के लिए जमा होता है उसी परपज के लिए कंपल्सरीली उसे यूटिलाइज होना चाहिए और इसके इंप्लीमेंटेशन के लिए सरकार की जो मशीनरी है उसने वह काम नहीं किया है। और अगर कोई मशीनरी इसके लिए नहीं है तो सरकार को इस तरह की मशीनरी इसके लिए बनानी चाहिए कि वह इन मदों में मिलों से रुपया जमा कराए और समय-समय पर उसकी पूरी जांच की जाय और जब जरूरत हो तो उनका रिहैबिलिटेट किया जाए या उनके डवलपमेंट में, उनकी प्रोडक्शन टेक्नीक में विकास करने के लिए, कुछ चेंज करने के लिए या रामेटीरियल में चेंज करने के लिए जो कुछ होना चाहिए वह सब उस पैसे की सहायता से कंपल्सरीली किया जाना चाहिए। क्योंकि जो इस की हिस्ट्री है उसमें यह कहा गया है कि हमारी मिल्स के सिक होने का कारण यह भी है कि यह कंपिटीशन में ठहर नहीं पातीं और वह बाजार में कंपीट नहीं कर पातीं। कंपिटीशन में ठहर न पाने का मतलब यह भी हो सकता है कि सिक मिल्स का जो प्रोडक्ट है वह बाजार में दूसरे माल के मुकाबले में ठहर नहीं पाता और इसकी वजह यह भी हो सकती है कि जो साइंटिफिक डवलपमेंट हाल में हुआ है वह उन मिलों में नहीं हुआ है इस लिए वह कंपिटीशन में ठहर नहीं पातीं। इसलिए पहले सरकार ने कुछ मिल्स को अपने कब्जे में करके हैल्दी बना दिया था, लेकिन शुरू में कुछ मिल्स जो अच्छी हो गई थीं वह फिर सिक हो गयीं। गवर्नमेंट की तरफ जो पेपर निकलता है उसमें यह भी दिया गया है कि कुछ मिल्स जो हैल्दी बनायीं गई थीं और गवर्नमेंट ने उनको वापस कर दिया था वह फिर सिक हो गयीं इसलिए गवर्नमेंट उनका नेशनलाइजेशन करने की सोच रही है कि अगर बड़े पैमाने पर इस काम को करना ही है तो उनका नेशनलाइजेशन कर दिया जाए। सबका नेशनलाइजेशन कर देना हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप को प्राइवेट सेक्टर को रखना है तो वह ठीक से काम कर सके इस का इंतजाम होना चाहिए और उसके लिए गवर्नमेंट को अपना पार्ट प्ले करना चाहिए और वह यह दे सकता है कि उनके रिहैबिलिटेशन के लिए मशानरी हो और प्राविडेंट फंड में रुपया जमा करवाना और उनके डवलपमेंट के लिए रुपया रखाना और उसको कंपलसरीली खर्च करवाना इस सब के लिए उनमें प्राविजन हो। लेकिन इसके साथ ही जो कारखाने चलते हैं वह केवल मशीन से ही नहीं चलते। उनमें वर्कर्स

की जरूरत पड़ती है। आज चिन्ता इस बात की हो जाती है जो बेजानदार चीज है उसके लिए तो सरकार को चिन्ता हो जाती है और दूसरे लोगों को भी उस के लिए फिक्र हो जाती है लेकिन जो एनीमेटेड पार्टी है, जो वहां वर्कर हैं उनके लिए किसी को फिक्र नहीं रहती है।

इस बिल के सिलसिले में भी मैं बताना चाहता हूं कि किस तरह से आपने वर्कर्स के इंटरेस्ट को नेगलेक्ट किया है। जो फ्री टेक ओवर वाले ड्यूज थे उनको छोड़ दिया गया है। फ्री टेक-ओवर वाली मशीनरी ले ली गई है लेकिन उसका जो ऐसेंशल पार्ट ह्यूमन एलिमेंट था उसके इंटरेस्ट को इगनोर कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि सरकार का दृष्टिकोण अभी तक नहीं बदला है जबकि वह समाजवाद का नामलेती है। आदमी के लिए जो चाहिए वह नहीं होता है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो रिपोर्ट इन्होंने किया है कि सिक मिलों को अपने कब्जे में लेकर उनका उत्पादन बढ़ाया है, वह अच्छी बात है। यह भी पढ़ा है कि कंट्रोल्ड क्लाथ का प्रोडक्शन इन्होंने बढ़ाना है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी तक गवर्नमेंट के हाथ में सभी कपड़ा मिलों का प्रबंध नहीं आया है, सारी कपड़ा मिलें नहीं आई हैं और मिलों को दूसरे प्रकार के कपड़ों के लिए छोड़ दिया गया है। लेकिन जो मिलें इनके हाथ में आ गई हैं, जिनको ये अक्वायर कर चुके हैं उससे ये कंट्रोल कपड़ा बनायें, क्योंकि आज देश-भर में कंट्रोल क्लाथ के लिए हाहा कार मचा हुआ है इस लिए इन मिलों के जरिए वह कपड़ा बनायें और उसका फेयर डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट चैनल से करें जिससे कि दोष देने का मौका न हो कि प्राइवेट सेक्टर बनाकर उसको ब्लैक मार्केट में बेचता है। इनके जरिए ब्लैक मार्किट होता है कि नहीं, यह भी लोगों को देखने में आएगा। इस लिए हम चाहते हैं कि पूरी की पूरी कंट्रोल्ड क्लाथ की क्वांटिटी को नेशनलाइज्ड मिल्स बनाएं। कुछ हो सके तो एक्सपोर्ट के लिए भी बनाएं, लेकिन एक्सपोर्ट के लिए बाहर की मिलों के ऊपर भी निर्भर करें। यह भी मेरा एक सजेशन है।

तो मेरे तीन सजेशन हैं। एक तो मजदूरों की मजदूरी फ्री टेक ओवर के लिए भी आप कृपा करके दे दें क्योंकि वह भी उतना ही एसेंशल है जितना कि अन-एनीमेटेड मशीनरी है। उनके पास्ट ड्यूज उसको देना आपके लिए लाजमी है। वह पूंजिपति नहीं दे सके तो आप अपनी तरफ से दीजिए। आपने नेशनाइलेज किया है, उसको आप अपनी तरफ से दीजिए। दूसरा सजेशन मेरा कंट्रोल क्लाथ के बारे में है। तीसरा इसी कानून में आप प्राविजन करिए कि सर्टेन फंड कायम किया जाए जिसमें रूपया जमा करवा दें। जहां जहां भी रूपया जमा करवाएं वहां समय समय पर उनकी मिलों को देख लें और उस रूपए को खर्च करवा दें उसको रिहेबिलिटेट करवाने में। ये तीन काम कर दें तो हम समझते हैं कि बहुत अच्छा होगा। इनमें से एक चीज का प्राविजन इस बिल में है ही नहीं। मजदूरों को आपने इगनोर ही कर दिया है। कंट्रोल्ड क्लाथ का थोड़ा सा पार्ट इसमें है। वह भी आप थोड़ा बहुत कहते हैं। ये कदम आप उठाएं तो अच्छा होगा।

श्री कमलनाथ झा (बिहार) : उप-सभाध्यक्ष जी, यह सिक टेक्सटाइल मिल्स को लेने का इस कानून की मार्फत हमारी सरकार ने कदम उठाया है, मैं उसको उसी ढंग का एक ऐतिहासिक कदम मानता हूं जिस ढंग का कि हमारी सरकार ने जमींदारी अबोलिशन करने का एक ऐतिहासिक कदम, फैसला किया था। समाजवाद के रास्ते पर हम बढ़ना चाहते हैं और कदम कदम करके हम समाजवाद की ओर बढ़ रहे हैं। इसका, हम समझते हैं कि यह एक बार पुनः एक ऐतिहासिक प्रमाण है कि हमारा मार्ग अवरूद्ध नहीं हुआ है, हमारा मार्च बंद नहीं हुआ है। पहला कदम हमने जमींदारी अबोलिशन किया। लैंड के ऊपर हमने सीलिंग की, यह दूसरा माइल स्टोन था। देसी रजवाड़ों को हमने खत्म किया· यह तीसरा माइल स्टोन था। हमने बैंकों का नेशनलाइजेशन किया, यह चौथा माइल स्टोन था। हमने इंस्योरेंश कंपनीज को नेशनलाइज किया, यह पांचवां माइल-स्टोन था और इस तरह से हम समझते हैं कि 103, एक नहीं, दो नहीं, केवल एक प्रदर्शनी के लिए नहीं, नुमाइश के लिए

[श्री कमलनाथ झा]

नहीं, एडीमीनिस्ट्रेशन के लिए नहीं, लेकिन गुड्स डिलीवर करने के लिए 103 मिलों का राष्ट्रीयकरण किया।

हमने 103 रुग्ण मिलों को अपने हाथ में ले कर यह साबित किया कि भोजन और वस्त्र मानव की दो बुनियादी आवश्यकताएं हैं। भोजन और वस्त्र जो हमारे समाज की दो बुनियादी आवश्यकताएं हैं उनको पूंजिपतियों की मर्जी पर छोड़ना नहीं चाहते हैं इसलिए हमको भोजन को बाहर से मंगा कर या उत्पादन को बढ़ा कर पूरा करना पड़ता है। जो गरीबों को कपड़ा नहीं मिल पाता है उनको कपड़ा मिल सके इसके लिए जरूरी है कि सरकार इनको अपने हाथ में ले।

हमारे डा. कुरियन जो मजदूरों के लिए हमदर्दी दिखाते हैं कह रहे थे कि हम लिप-सर्विस करते हैं। हम कहते हैं कि लिप सर्विस वे करते हैं हमने तो आंकड़ों के आधार पर नेशनलाइजेशन की गाड़ी को आगे बढ़ाया है। आप चले जाइए एल. आइ. सी. में और पूछिए कि वहां के चपड़ासी को क्या तनख्वाह मिलती है। तो आप पाएंगे कि बड़े-बड़े और मीडियम इंडस्ट्रीज के आदमी को उतनी तनख्वाह नहीं मिलती। कोयला इंडस्ट्री हमारे टेकओवर करने के पहले जो कि पहले कैपटैलिस्टों के हाथ में थी तो मैं पूछना चाहता हूं कि कितने लोग वहां परमानेन्ट थे और उनकी क्या मजदूरी थी और टेक-ओवर करने के बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज 50 हजार मजदूर परमानेन्ट किए गए और उनकी मजदूरी बढ़ाई गई। चाहे एयर सर्विस को ले लीजिए, रेलवे को ले लीजिए, चाहे एल. आई. सी. ले लीजिए, स्टील इंडस्ट्री को ले लीजिए तो आप आंकड़ों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर बताइए कि सरकार ने उनको अपने हाथ में लेने के बाद कितनी सुविधा उनको दी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज बात दूसरी है और आप को और हम को दोनों को मिलकर मजदूरों को समझाना चाहिए और कहना चाहिए कि मजदूरी बढ़ाने की मांग आपकी जायज है, सरकार बढ़ाती है लेकिन आपको प्रोडक्शन भी बढ़ाना चाहिए तब आपकी मजदूरी की बढ़ोतरी की रफ्तार कायम रहेगी। यह कम्युनिस्ट मुल्क नहीं है। अगर डा. कुरियन साहब का मुल्क होता या भूपेश गुप्ता जी का मुल्क होता तो उनकी मजदूरी जरूर बढ़ती कमी या वैसी लेकिन उनको हड़ताल करने का हक नहीं होता। उनको अपनी आवाज बुलंद करने का हक नहीं होता। यह हमारा ही देश है कि मजदूर को मजदूरी भी देते हैं, उनको सुविधा भी देते हैं, आजादी भी देते हैं, इसलिए आप पर यह जिम्मेदारी आती है कि आप समझाओ कि अब तक यह मुल्क पूंजिपतियों का था और अब यह मुल्क तुम्हारा हो गया है इसलिए यह मुल्क जितना कमाएगा, उद्योग जितना कमाएगा तुम को पूरा हक होगा अपनी रोजी बढ़ाने का। लड़के झगड़ के, हड़ताल करके, अपने प्रतिनिधियों की मार्फत संसद में आवाज उठा कर, डिमोन्स्ट्रेशन करके तुम उसे ले सकते हो। लेकिन अगर हमारा उत्पादन ही नहीं बढ़ेगा तो हमारे शरीर में खून नहीं रहेगा। इसलिए आप इस बात को समझाओ कि आप मजदूरी के लिए लड़ते हैं, सुविधा के लिए लड़ते हैं आपको लड़ना चाहिए लेकिन अगर हिन्दुस्तान में इंडस्ट्री फेल हो जाएगी, अगर नेशनलाइजेशन फेल हो जाएगा तो दिस इज दी डिफीट आफ सोशलिज्म। इसलिए जो समाजवाद पर आस्था रखते हैं, प्रगतिशील विचारों पर आस्था रखते हैं उनसे मैं अपील करता हूं कि आप राष्ट्रीयकृत उद्योगों में ऐसा उत्पादन करो कि सरकार का भी हाथ मजबूत हो और मजदूर का भी हाथ मजबूत हो। और हमारे देश में हम सिर उठाकर कह सकें कि हम इस प्रकार के समाजवाद के रास्ता पर आगे बढ़ना चाहते हैं। उप-सभाध्यक्ष जी, मैं सिर्फ एक दो पोइन्ट और कहना चाहता हूं। मेरा कहना यह है कि पूंजिपतियों के हाथ में जितनी देर तक आप इस प्रकार के बुनियादी उद्योग छोड़ेंगे और जैसे ही उनका मुनाफा कम होगा और जैसे ही आप उनके खून चूसने पर पाबंदी लगा देंगे तो उनकी तरफ से इसका विरोध किया जाएगा क्योंकि पूंजीपति मुख्य रूप से जनता को लूटते हैं और जब आप उनके खून चूसने पर पाबंदी लगाएंगे तो वे बीमार हो जाएंगे। इस प्रकार का एक्सपेरिमेन्ट आप देख चुके हैं। ऐसी स्थिति में

नेक्स्ट स्टेज जो आपको फालो करना चाहिए वह यह है कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना में आप एनटायर टेक्सटाइल इंडस्ट्री को नेशनलाइज करने के लिए कोई योजना बनाएं ।

5 P.M.

अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि आप लोग बराबर टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तरफ ध्यान देते हैं और ध्यान देना भी चाहिए । लेकिन मैं मंत्री महोदय का ध्यान जूट इंडस्ट्री की दर्दनाक स्थिति की तरफ भी दिलाना चाहता हूं । जूट इंडस्ट्री की हालत बहुत दर्दनाक है । इसलिए मैं चाहता हूं कि जहां आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तरफ ध्यान दें वहां जूट इंडस्ट्री की तरफ भी ध्यान देने की कृपा करें । इसके साथ साथ मैं अपने विरोधी दल के मित्रों से भी कहना चाहता हूं कि किसी भी क्षेत्र में निर्माण की सफलता या विफलता को आंकने के लिए कुछ इंतजार की आवश्यकता होती है । अगर आप किसी को पहलवान बनाना चाहते हैं तो उसको दूध पिलाते हैं तो कम से कम छः महीने तक आपको दूध पिलाना होगा और इसके बाद आप उसका इफेक्ट देख सकते हैं । इसके विपरीत विनाश के लिए एक मिनट में पोटेशियम साइनाइट दे कर आप किसी को मार सकते हैं । इंगलैण्ड में जो इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट हुआ उसको होने में चार सौ वर्ष लगे और वे भी तब जब कि सारे संसार में उनकी कालोनिज थीं । उन्होंने उन कालोनिज को लूटा और कैपिटल फार्मेशन किया । हम संसार में किसी को लूट नहीं सकते हैं और न ही हमारी किसी को लूटने की नीति है । इसलिए हमें अपनी पूंजी से, अपनी मेहनत से और अपने कला-कौशल से समाजवाद के रास्ते पर आगे बढ़ना है । हम समझते हैं कि हमारे विरोधी दल के सदस्यों ने भी प्रत्यक्ष रूप से इसका समर्थन ही किया है और मैं भी इस बिल का समर्थन करता हूं । इन शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR) : Mr. Kumbhare.

SHRI N. H. KUMBHARE (Maharashtra) : Sir, barring the claims of employees with their old employers, I see that this Bill seeks to protect the legitimate interests of the workers who will be employed by the National Textile Corporation.

I would like to seek a clarification on clause 14. I do not see a specific provision by which the past service of an employee will also be restored to him. No doubt, this clause protects the monetary benefits, namely, pension, gratuity, etc., but I do not see a clear-cut provision mentioning that the past service which they had put in before will be fully restored to them. Suppose a worker has put in 14 years' service, will that 14 years' service be at his credit and he shall be deemed to have put in 14 years' service or not? That thing is not clear. So I would like to have that clarification and I hope the hon. Minister while replying will make this point clear.

Sir, we have now been informed that as many as 1,60,000 workers will be brought under the purview of the public sector. It represents a very substantial number of workers. But, unfortunately, It has been a grievance of the employees in the public sector undertakings that the managements of the public sector undertakings do not give them a fair deal. It has been found that far from taking steps to imporve and restore good and cordial relations, the public sector undertakings sometimes adopt anti-labour policies. It is, therefore necessary to see that those who are put at the helm of affairs are persons with social outlook. They should be persons who are dedicated and who have got love and sympathy for the workers in their hearts. Sir, I know something about the trade union activities in the public sector and for your information, I may tell you that if the claim of a worker is for Rs. 1000/-, the public sector undertakings go on contesting that claim even up to the Supreme Court and may even spend Rs. 10,000/-, but they would not agree to pay Rs. 1000/- to the poor worker. This has been the policy followed by the public sector undertakings. Therefore, it was expected that some such provision would be incorporated in this Bill. You could have set an example that you want to give ideal

[Shri N. H. Kumbhare]

conditions of work to the workers who are producing cloth for the vulnerable sections of the society. You could have provided a scheme by which the workers could get more opportunities for participation in the management of the undertaking. It is really unfortunate that these vital matters have been completely omitted. Therefore, my submission is that at least the Ministry should set a guideline to the management that so far as the interests of the workers are concerned, they should be fully protected. When we welcome the takeover of the undertakings by the public sector, we feel that now it is the public which will run the industry. But we find that there are a handful of bureaucrats to administer the affairs and the necessary co-operation from the workers for efficient and good work is not being sought. All that I want to say is that the hon. Minister will take care to see that a better and pro-labour policy will be adopted in future in the larger interests of the working class.

SHRI G. C. TOTU (Himachal Pradesh): Sir, I rise to welcome this Bill. It is very gratifying to note that after takeover of the sick mills, there are good results not only in terms of money, but in terms of production also. The section of the society which is the critic of the public sector should look to this aspect also that where the public sector is manned by the right type of people, it can show results. However, there is another aspect to which I would like to draw the attention of the hon. Minister and that is about compensation. I do not subscribe to the view that no compensation should be paid. So long as there is the right to private property in our country, compensation has to be paid.

And then, sir, it should not be forgotten as to whom this compensation is to be paid. The owners, the managing directors or the directors do not own more than 10 to 20 per cent of the shares. And by owning 20 per cent of the shares, they control the mills. And 80 percent of the shares are owned by the middle classes and the lower middle-classes. Howver, there is an aspect of it. Would the payment of Rs. 38 crores not lead to more money expansion in the country ? Would it not lead to more inflation ? I would, therefore, like to suggest that instead of the payment being made in cash, can the payment not be made in terms of shares ? We believe in mixed economy. And when we believe in mixed economy, where is the harm if less than 49 per cent of the shares are given in the market ? Today, there is a statutory control that payment of dividend of more than 12 per cent on the shares cannot be made. While the banks pay 10 per cent interest, there are limited companies who are paying 15 to 18 per cent interest. Therefore, there is no harm if the shares are made open to the public because, it should not be forgotten that the present price rise is partly due to the money expansion and the payment of Rs. 38 crores is certainly going to add to the money in the market and to that extent it would add to the inflation. And if it is not legally possible to give the shares to the present shareholders, then it should be possible for the Government to float new shares. If the Government has any hesitation that the public would not buy shares, I am sure, at least in this industry where the results are by and large very good, people have the confidence.

Therefore, I again request the Minister to see to these aspects which I mentioned.

बी. पी. मौर्य : आदरणीय उपसभापति जी, मैं सभी माननीय सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उन्होंने इस बिल पर बहस करके, अपने अमूल्य विचार देकर बहुत भारी सहयोग प्रदान किया है। मजदूरों के बकाए के संबंध में माननीय सदस्य काफी चिन्तित रहे हैं और अभी भी चिंतित नजर आते हैं, लेकिन, श्रीमन्, मैं फिर एक क्षण में प्रकाश डालना चाहूंगा कि जितना मजदूरों का बकाया है उसे ज्यादा से ज्यादा दो हिस्सों में बांटा जा सकता है—वह बकाया जबसे व्यवस्था सरकार के हाथ में आई और उससे पहले का बकाया। जबसे इंतजाम भारत सरकार या नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन के हाथ में आया उस समय के बकाए का जहां तक प्रश्न है, चाहे उनकी नौकरी का बकाया है, चाहे और किसी प्रकार का बकाया हो, चाहे प्रोवि-

डेन्ट फंड का बकाया हो, उस सबकी जिमेदारी सरकार ने स्वीकार कर ली है। इसलिए इस ओर के बकाए के बारे में किसी चिन्ता का प्रश्न उठता ही नहीं। इसके अलावा ग्रेच्युइटी और पेंशन के संबंध में क्लाज 14 के द्वारा स्थिति बहुत साफ कर दी गई है कि ग्रेच्युइटी और पेंशन चाहे वह प्रि टेंक ओवर की हो या पोस्ट-टेक ओवर की, जितने समय की मजदूरी की नौकरी है उस पूरे समय का लाभ रिटायर होने के समय पर मजदूर को मिल सकेगा। इसलिए जहां तक ग्रेच्युइटी और पेंशन का प्रश्न है, प्रि-टेकओवर और पोस्ट-टेक ओवर की वजह से मजदूर को कोई हानि होने वाली नहीं है।

इसके अलावा मजदूर का बकाया है प्रि-टेक ओवर पीरियड का जब कि इंतजाम, व्यवस्था सरकार के या एन. टी. सी. के हाथ में नहीं था। उसके बारे में जितना भी मजदूर का बकाया है उसमें उसका प्राविडेंड फंड भी शामिल है, उसके लिए श्रीमन्, मैंने पहले भी निवेदन किया था कि हमको बड़ी चिंता है। उसमें 50 फीसदी मजदूर की गाढ़ी कमाई से कटा है। यह जो व्यवस्था शेड्यूल दो के भाग बी में की गई है सेक्योर्ड लोन्स की तीसरी कैटेगरी से चौथी कैटेगरी में रखा गया और मजदूरों के बकाए की तीसरी कैटेगरी में लाया गया। इससे प्राविडेन्ट फंड का बहुत सा हिस्सा मजदूरों को मिल जाएगा और उसके अलावा जो मजदूरों के और भी बकाया हैं, जो काफी बड़ी लिस्ट है उस में भी मजदूरों का बकाया शामिल है और जो प्रि टेक ओवर पीरियड का है चाहे वह एरियर्स आप लीव सेलरी हो या

unpaid bouns, lay-off and retrenchment compensation, unpaid T.A. and D.A., dues relating to special allowance including Overtime Allowance and Conveyance Allowance.

इस तरह के जो तमाम शब्द आए हैं बकाया के साथ, उन सब की जो धनराशि है जो मजदूरों की बकाया है, प्रि टेक ओवर पीरियड की उस तमाम हिस्सा उस तब्दीली के कारण जो सेक्योर्ड लोन्स को चौथे स्थान पर लाया गया है उससे इस बकाया का भुगतान हो जायेगा। निश्चित रूप से कुछ अंश इस तरह का जरूर रह जाएगा कि जो प्रि टेकओवर पीरियड का है और वह नहीं दिया जा सकेगा। प्राविडेन्ट फंड के संबंध में मैंने थोड़ी देर पहले निवेदन किया था कि प्राविडेन्ट फंड का जो प्रश्न है, जो बकाया रह जाएगा उसके लिए हम स्वयं चिन्तित हैं। ठंटल एमाउन्ट को जब देखते हैं तो चिन्ता नजर नहीं आती, लेकिन कुछ ऐसी मिलें हैं कि जिनकी धनराशि केवल हजार रुपए है। वहां प्राविडन्ड फंड के बकाए में मजदूरों को कुछ नहीं मिल पाएगा। ऐसी जब अलग अलग मिल्स का प्रश्न आता है तो उस से चिन्ता अवश्य होती है। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों और सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो भी सरकार से संभव हो सकेगा इस समस्या को हल करने की दिशा में वह सरकार करेगी। छंटनी के संबंध में बार बार यहां प्रश्न आया है। क्योंकि जिन माननीय सदस्य ने इस के लिए चिन्ता विशेष रूप से प्रकट की थी और कहा था कि वे खास तौर से इसका उत्तर चाहते हैं वह काश इस समय यहां होते तो अच्छा था। इन मजदूरों की रोजी रोटी न छिने और ये एक लाख 60 हजार मजदूर बेकार न हो जाएं इससे चिन्तित हो कर और जन-साधारण को आवश्यक चीजें जिन में एक कपड़ा भी शामिल है वह आसानी से मिल सकें इन आदर्शों को सामने रख कर ही भारत सरकार ने इन 103 बीमार मिलों का राष्ट्रीयकरण किया है। फिर छंटनी का बार बार प्रश्न उठाना 'जग कैसा कि मो सा' वाली कहावत को चरितार्थ करना है। अपने मन की भावना वह भारत सरकार के ऊपर क्यों थोपना चाहते हैं। भारत सरकार की पूरी कोशिश रहेगी कि छंटनी का प्रश्न आए तो उसको जहां तक संभव हो अवायड किया जाय और वह न होने दी जाए। ऐसी पीरिस्थिति न आने दी जाय कि छंटनी की आवश्यकता पड़े, परन्तु कभी कभी कुछ पीरिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि सरकार या कोई भी चाहे कि छंटनी न हो, कुछ ऐसी मजबूरियां आ जाती हैं कि कि उनमें ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं कि जिनको कोई व्यक्ति या इंस्टीट्यूशन या सरकार उठाना पसंद नहीं करती, लेकिन मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार का पूरी तरह से यह प्रयत्न रहेगा कि छंटनी का प्रश्न जब भी आए उस को न होने दिया जाए। लेकिन कभी कभी परिस्थि-

[श्री बी. पी. मौर्य]

तियां भयंकर हो जाती हैं। केन्द्रीकरण के बारे में बार बार यहां पर टीका की गई है। मिलों का राष्ट्रीयकरण कर के उनका केन्द्रीकरण नहीं किया गया है। सेंट्रलाइजेशन नहीं किया गया है। मैंने पहले भी निवेदन किया था कि एन. टी. सी. के द्वारा नौ सब्सीडियरी कारपोरेशन भारत के अलग अलग प्रदेशों में होंगे और उन में प्रान्तीय सरकारों के नुमाइन्दे होंगे। प्रान्तीय सरकारों के विचार ले कर ही, उनसे सलाह मशविरा कर के ही वहां पर मैनेजिंग डाइरेक्टर रखे जाएंगे। यह सब तथ्य जब सामने आते हैं तो यह कहना कि इनका केन्द्रीकरण किया गया है उचित नहीं है और इस बात में कोई वजन नजर नहीं आता है।

जहां तक शेयर का प्रश्न है वह मैंने बताया कि 51-49 का रेशियो उसमें रहेगा जहां तक मैनेजमेंट का प्रश्न है, यूनिफार्म सिस्टम रहे, हैटरोजीनिस सिस्टम न रहे। जो स्कीम जनता के द्वारा चुने हुए नुमाइंदों के जरिए तथा विशेषज्ञों के विचारों पर बनाई जाए इसको पूरे देश में लागू किया जा सके, इसी को लेकर यहां इस तरह का गठन किया गया है। लेकिन निश्चितपूर्वक इस गठन को यह कहना कि यह केन्द्रीयकरण करना है, यह सत्य नहीं है।

जहां तक जनसाधारण की आवश्यकता का सवाल है, जनसाधारण के लिए कपड़ा ज्यादा से ज्यादा बने इसका पहले से ही ध्यान रखा गया है। जबसे इंतजाम हमारे हाथ में आया तब से जितना कपड़ा जनसाधारण का बनना चाहिए था उनमें ज्यादा अनुपात में कपड़ा इन मिलों में बना है। यह कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा कपड़ा इनमें बने। लेकिन यह विचार देना कि जनसाधारण का ही कपड़ा इस प्रकार की मिलों में बनना चाहिए तो श्रीमन्, पहले से ही ये बीमार हैं अभी तो बिलांपास होंगी। इस सब का जब आशीर्वाद मिल जाएगा, राष्ट्रपति जी की उसे स्वीकृति जब मिल जाएगी तो राष्ट्रीयकरण के बाद दो प्रकार की मिलें मैदान में आएंगी—एक वे जो स्वस्थ हैं और दूसरी वे जो बीमार हैं। बीमार और स्वस्थ का मुकाबला होगा और उस पर भी यह अंकुश लगा देना कि केवल रफ कपड़ा बनाओ, कामन क्लाथ का कपड़ा बनाओ और ऐसा कपड़ा न बनाओ जो विदेशों में भेजकर विदेशी मुद्रा कमा सकता है या जो कीमती पैसे वाला कपड़ा है वह न बनाओ तो ये बीमार और भी ज्यादा बीमार हो जाएंगे। लेकिन निश्चितपूर्वक यह प्रयत्न तो अवश्य रहेगा कि हम जनसाधारण की आवश्यकता का कपड़ा ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बनाएं।

जहां तक वर्कर्स पार्टिसिपेशन का सवाल है, मैंने पहले भी कहा कि यह एक आदर्श है। यह सिद्धान्त और नीतियों का प्रश्न है। बहुत बड़े स्तर पर इसका निश्चय किया जाता है। उसमें बहुत सी मीस्ट्स जहां होती हैं, डिमीरिट्स भी हैं उस पर विचार सरकार का हो रहा है। कहां तक सरकार इसको कर पाएगी, इसको निकट भविष्य में बताना मुश्किल होगा। काफी समय इस फैसले पर लग जाएगा।

जहां तक अभी एक विचार माननीय सदस्य ने दिया, जो भी धन इकट्ठा होगा, पहले भी मैंने निवेदन किया है कि केवल 39 करोड़ 18 लाख 13 हजार मुश्किल से होगा। कोई विशेष बड़ी राशी नहीं प्राप्त होने वाली है जो शेयर-होल्डर्स को या बीमार मिलों के मालिकों को पहले दे दिया जाएगा। ज्यादातर ऐसी मिलें होंगी जिनमें उनके ऊपर लायबिलिटीज का भुगतान करने के बाद कुछ भी नहीं बचेगा। जिनमें कुछ पैसा बचेगा तो उस बारे में मशविरा माननीय सदस्य ने दिया है कि क्यों नहीं आप उनका उनमें शेयर दे देते। सरकार की नीति यह है कि हम किसी भी प्रकार के ऐसे अंशों को नहीं डालना चाहते हैं जिनसे प्रगति के रास्ते में रूकावट पड़े और न इस प्रकार का विचार इस बिल में रखा गया है। श्रीमन् . . .

SHRI N. H. KUMBHARE : I would like to know whether the employee will be taken in the undertaking with his past service.

श्री बी. पी. मौर्य : माननीय सदस्य श्री कुम्भारे बहुत जाने माने वकील हैं। वह यदि क्लाज 14 के पहले हिस्से को गौर से पढ़ेंगे तो देखेंगे कि उसकी मूल भावना क्या है, क्या इसके पीछे सिद्धांत छिपा हुआ है कि यदि इन

मिलों का राष्ट्रीयकरण नहीं होता तो जिस तरह से उनकी नौकरियां ऐसी मिलों में गिनी जातीं ठीक उसी तरह से उन कार्यकर्ताओं की, उनकी मजदूरी की, उन इंप्लाइज की नौकरियां इसमें बरकरार रहेंगी। इससे तो यह है —

Total period of service earned by him will continue.

इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस बिल को पास किया जाए।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR): The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

उप सभाध्यक्ष (श्री जगदीश प्रसाद माथुर) : सदन की कार्यवाही कल प्रातः काल 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

The House then adjourned at twenty-five minutes past five of the clock till eleven of the clock on *Wednesday, the 18th December, 1974.*

MGIPRRND—83RSS/74—Sec. VIII—11-3-75—595.